



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5903

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 45066 / 2025

उदय सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : धीरज कुमार सिंह

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : अभिषेक शर्मा, शा.अधि., संतोष कुमार यादव

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री धीरज कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक के लिए, श्री संतोष कुमार यादव, विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के लिए तथा श्री अरुण कुमार मिश्रा, विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता, राज्य के लिए को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक विचाराधीन विचारण लंबित रहने की अवधि में मुकदमा अपराध संख्या 404 / 2025, धारा 140(1), 61(2), 103(1), 238(a) बी.एन.एस. के अधीन, थाना - नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज, जिला - प्रयागराज में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है और उसे केवल संदेह के आधार पर प्राथमिकी में नामजद किया गया है। आवेदक को अपनी पत्नी के साथ मृतक के अवैध संबंध के बारे में एक झूठा मकसद दिया गया है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि प्रयागराज में भाजपा के पदाधिकारी रहे मृतक व्यक्ति के नाम पर पर्स सहित आधार कार्ड, वोटर कार्ड और लेटरहेड की एक झूठी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बरामदगी आवेदक पर थोपी गई है, जो मृत शरीर की बरामदगी के स्थान के पास से बरामद होना बताई गई है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक 10.9.2025 से जेल में बंद है और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. इसके विपरीत, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का बलपूर्वक विरोध किया है कि आवेदक का अपराध के लिए प्रबल मकसद था और साथ ही आवेदक के इशारे पर मृतक से संबंधित कुछ सामग्रियों की बरामदगी भी है, यद्यपि वह सी.सी.टी.वी. फुटेज में दिखाई नहीं देता। इसलिए आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।
8. "दोषसिद्ध होने तक निर्दोषिता की उपधारणा" का प्रसिद्ध सिद्धांत जमानत को नियम और कारावास को अपवाद की अवधारणा को जन्म देता है।
9. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इस आधार पर नहीं छीना जा सकता कि व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप है जब तक युक्तिसंगत संदेह से परे दोष स्थापित न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और वह प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय ने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य, (2022) 10 SCC 51 में दोहराया है।
10. उक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, उच्चतम न्यायालय ने मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 INSC 595 के मामले में, यह पुनः जोर दिया है कि यह भली-भांति स्थापित विधि का सिद्धांत कि जमानत को दंड के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, भुलाया नहीं जाना चाहिए। यह उचित समय है कि न्यायालय इस सिद्धांत को स्वीकार करें कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है।"
11. विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं ला पाए जो आवेदक को जमानत देने से इनकार को उचित ठहराए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों, अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सी.सी.टी.वी. फुटेज में आवेदक दिखाई नहीं देता, जबकि सह-अभियुक्त राम सिंह यादव सी.सी.टी.वी. फुटेज में दिखाई दिया था और होटल मालिक द्वारा भी पहचाना गया था, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्ट्या न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
13. आवेदक उदय सिंह, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंध-पत्र और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा। (iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
14. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
15. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

9 जनवरी, 2026

विकास वर्मा